तारीख
हुक्म
जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल नं. 171/2022 दिनांकः 16.12.2022

उनवानी वादः–

1. अजयपाल सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. हेमेन्द्रसिंह पुत्र श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. ओमराज कंवर पुत्री श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. मन्टाकंवर पुत्री श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. पुष्पाकंवर पत्नी श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. विकम सिंह पुत्र श्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. हनुवन्तसिंह पुत्र श्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. नन्दकंवर पुत्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. सुरजकंवर पत्नी श्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
5

राजेश जैन
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता

<u>वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.03.2021 को अपास्त कर इस इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित की गई कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में सभी पक्षकारो की उपस्थिति में सम्बन्धित तहसीलदार से

meets & bounds विभाजन रिपोर्ट तैयार करवाई जावे, तथा विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे। माननीय न्यायालय आर.ए.ए की पालना में पत्रावली प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित हुए। उभयपक्ष अधिवक्ता ने कोई साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने की प्रार्थना की। तहसीलदार देवली से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाकर मंगवाई गई। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपतियां पर आदेश व अन्तिम निर्णय डिक्री पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र व बहस में निष्कर्षतः पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर मंगवाने की प्रार्थना की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी अपने जवाब व बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताते हुए कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी केवल वाद को लम्बित करना चाहते है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र व प्रा. पत्र के जवाब व बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली से प्राप्त हाल कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपतियां खारिज किया जाता है।

अन्तिम निर्णय/डिक्री इस प्रकार है कि प्रकरण में माननीय न्यायालय आर.ए.ए के निर्देशानुसार तहसीलदार से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने में बाद बहस पारित किया गया था। न्यायालय हाजा से पारित आदेश की पालना में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष अधिवक्ता से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही नियमानुसार है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें। अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि प्रतिवादी के खेतो में जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा है । पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय/आदेश, अन्तिम निर्णय/डिक्री पर सुनाया गया जो इस प्रकार है:-तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2074-77 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली के हाल खाता संख्या 1405 में दर्ज ख. नं. 5593/201 रकबा 5.97 है0 व 5594/202 रकबा 3.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 9.42 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। **तहसीलदार देवली की संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा:-**

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	अजयपाल सिंह, हेमेन्द्र सिंह पुत्र ओमराज कंवर मन्टा कंवर पुत्रियां	5594/202	3.45	बारानी -1	27.60
		5593/201	1.26	बारानी -1	10.08

	पुष्पा कंवर पत्नी पृथ्वीराज सिंह राजपूत सा. देह खातेदार राहिन हेमेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह हि. पूर्ण पंजाब एण्ड सिन्ध बैक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	1			
	योग	किता–2	4.71	–	37.68
2	विक्रम सिंह, हनुवन्त सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्र नन्दकंवर पुत्री सुरजकंवर पत्नी प्रताप सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन विक्रम सिंह पुत्र सूरजकंवर पत्नी प्रताप सिंह का हि0 पूर्ण पंजाब एण्ड सिन्ध बैक शाखा देवली व विरेन्द्र सिंह हनुवन्तसिंह पुत्र प्रताप सिंह का हि0 पूर्ण केनरा बैंक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शित	<u>5593/201</u> 2	4.71	बारानी –1	37.68
	योग	किता–1	4.71		37.68

संलग्न :– तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार देवली उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्ति डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम
देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....
उनवानी दावा :–

1. अजयपाल सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. हेमेन्द्रसिंह पुत्र श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. ओमराज कंवर पुत्री श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. मन्टाकंवर पुत्री श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. पुष्पाकंवर पत्नी श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र श्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. हनुवन्तसिंह पुत्र श्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. नन्दकंवर पुत्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. सुरजकंवर पत्नी श्री स्व. प्रतापसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 171 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई

रूबरू विरूद्ध श्री राजेश जैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2074–77 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली के हाल खाता संख्या 1405 में दर्ज ख. नं. 5593/201 रकबा 5.97 है0 व 5594/202 रकबा 3.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 9.42 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार देवली की संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार हैः–

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	अजयपाल सिंह, हेमेन्द्र सिंह पुत्र ओमराज कंवर मन्टा कंवर पुत्रियां पुष्पा कंवर पत्नी पृथ्वीराज सिंह राजपूत सा. देह खातेदार राहिन हेमेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह हि. पूर्ण पंजाब एण्ड सिन्ध बैक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	5594/202	3.45	बारानी –1	27.60
		5593/201 1	1.26	बारानी –1	10.08
	योग	किता–2	4.71	–	37.68
2	विक्रम सिंह, हनुवन्त सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्र नन्दभंवर पुत्री सुरजकंवर पत्नी प्रताप सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन विक्रम सिंह पुत्र सूरजकंवर पत्नी प्रताप सिंह का हि0 पूर्ण पंजाब एण्ड सिन्ध बैक शाखा देवली व विरेन्द्र सिंह हनुवन्तसिंह पुत्र प्रताप सिंह का हि0 पूर्ण केनरा बैंक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शित	5593/201 2	4.71	बारानी –1	37.68
	योग	किता–1	4.71		37.68

संलग्न :– तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

निजी.......................मुवलिक.......................बाबत् ....

.......................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 12 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल ख़र्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।